न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 204/2011 दायर दिनाँक 3.10.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुमारी सरोज उर्फ सरीता पुत्री नेमीचन्द उम्र 30 वर्ष 2. कुमारी सन्तोष उर्फ चेतना पुत्री नेमीचन्द उम्र 27 वर्ष 3. राजेन्द्र पुत्र नेमीचन्द उम्र 23 वर्ष समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मावा तहसील डीडवाना हाल निवासी छोटी लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. रामदेव पुत्र किशनाराम 2. नेमीचन्द उर्फ नरोतम पुत्र रामेदव 3. उमा देवी पत्नि रामदेव समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **29.08.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के प्रतिवादी सं0 01 रामदेव दादा है तथा प्रतिवादी सं0 2 पिता व प्रतिवादी सं0 3 उमादेवी दादी है। प्रतिवादी रामदेव जो वादीगण के दादा है, वो आज से करीब 51—56 वर्षो पहले लापता हो गये, जिनका आज तक पता नही है कि वे जीवित है या मर गये, मगर उनको करीब 51—56 वर्षो में न तो किसी ने देखा, न उनके बारे में कोई किसी को भी जानकारी ही है।

यह है कि वाकै शरहद मावा में वादीगण के पुश्तैनी खेत खसरा सं0 423 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व खसरा सं0 425 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा में से 1/2 भाग में से प्रत्येक वादीगण का 1/4 भाग चाहा गया है। एवं अन्य खसरान उक्त वाद से वादीगण डिलिट करवाना चाहता है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक सम्पति की है, जिसमें हक व अधिकार हम वादीगण का जन्म से ही है। खतौनीयों की प्रतिलिपियां वाद—पत्र के साथ पेश है।

यह है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक सम्पति की है। जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा जन्म से ही है। मगर प्रतिवादीगण वादीगण की कमजोरी का फायदा उठा कर वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी होते हुए तथा वर्तमान में दादा रामदेव के नाम होते हुए भी किसी अन्य बाहरी व्यक्तियों को बेचने की धमकी देते रहते है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि में काश्त करवाते व करते आये है। मगर राजस्व रेकर्ड में नाम नही होने की वजह से वादीगण राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर सकते व अपने हिस्से को ... असुविधा रहती है तथा प्रतिवादी रामदेव के पुनः आने की सम्भावना भी ... चुकी है, इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना ... आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादीगण यह है कि :–

यह है कि रामदेव वादीगण का दादा है तथा उक्त सम्पति पैत्रिक सम्पति है तथा वादीगण हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा रामदेव के एक मात्र जायन्दा सन्तान नेमीचन्द है तथा नेमीचन्द के कुल दो पुत्रियां व एक पुत्र है। इस प्रकार उपर वर्णित खसरा सं0 में 1/2 हिस्सा रामदेव पुत्र किशनाराम के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त का है एवं शेष 1/2 में से प्रतिवादी सं0 2 नेमीचन्द का हिस्सा 1/2 में से 1/4 भाग है एवं इसी प्रकार प्रत्येक वादीगण का 1/2 में से 1/4 भाग हक अधिकार है तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण को खातेदार घोषत किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – अखबार, प्रदर्श 2 – जमाबंदी संवत् 2066–69, प्रदर्श 3 – जमाबन्दी संवत् 2066–69, प्रदर्श 4 – उपखण्ड कार्यालय लाडनूं में चल रहे प्रकरण के आदेशिका की नकल, प्रदर्श 5 – प्रार्थना–पत्र आदेश 23 नियम 01 की नकल, प्रदर्श – 6 प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 की नकल प्रदर्शित किये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि शरहद मावा के खेत खसरा सं0 423 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व खसरा सं0 425 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि के नये खसरा सं0 721 रकबा 1.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 722 रकबा 0.3900 हैक्टे0, खसरा सं0 723 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 724 रकबा 1.5000 हैक्टे0, खसरा सं0 725 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 727 रकबा 2.1200 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा रामदेव पुत्र किशनाराम के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त में एवं शेष 1/2 में से प्रतिवादी सं0 2 नेमीचन्द का हिस्सा 1/2 में से 1/4 भाग है एवं इसी प्रकार प्रत्येक वादीगण का 1/2 में से 1/4 भाग में स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.08.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **204/2011** दायर दिनाँक **3.10.2011**

वादीगण

1. कुमारी सरोज उर्फ सरीता पुत्री नेमीचन्द उम्र 30 वर्ष
2. कुमारी सन्तोष उर्फ चेतना पुत्री नेमीचन्द उम्र 27 वर्ष
3. राजेन्द्र पुत्र नेमीचन्द उम्र 23 वर्ष समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मावा तहसील डीडवाना हाल निवासी छोटी लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. रामदेव पुत्र किशनाराम
2. नेमीचन्द उर्फ नरोतम पुत्र रामेदव
3. उमा देवी पत्नि रामदेव समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **29.08.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि शरहद मावा के खेत खसरा सं0 423 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व खसरा सं0 425 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि के नये खसरा सं0 721 रकबा 1.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 722 रकबा 0.3900 हैक्टे0, खसरा सं0 723 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 724 रकबा 1.5000 हैक्टे0, खसरा सं0 725 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 727 रकबा 2.1200 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा रामदेव पुत्र किशनाराम के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त में एवं शेष 1/2 में से प्रतिवादी सं0 2 नेमीचन्द का हिस्सा 1/2 में से 1/4 भाग है एवं इसी प्रकार प्रत्येक वादीगण का 1/2 में से 1/4 भाग में स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.08.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner